परियोजना का नाम :– **जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल से बरसूडी मोटर मार्ग (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.500) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

हस्तान्तरण के औचित्य पर टिप्पणी

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एंव स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से अपने पत्रॉक P-17024/27/2015–RC(FFMS 346171) दिनॉक 12 अप्रैल 2017 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के द्वारीखाल ब्लॉक में द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.500) के नव निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है) उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या 781/पी1–32(Phase-XIV)/यू0आर0आर0डी0ए0/17 दिनांक 09–05–2017 उत्तराखंड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया हैं। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट बरसूडी की आवादी 271 अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित् विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपल्ब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेंणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के (**समरेखण** में आरक्षित वन भूमि **0.245** है0 एवं एक एच0पी0 बैण्ड हेतु अतिरिक्त भूमि **0.007** है0), वन पंचायत भूमि **शून्य** है0, नाप भूमि **0.105** है0, सिविल सोयम भूमि **शून्य** है0), एवं (**मलबा निस्तारण** हेतु नाप भूमि **0.030** है0) प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

मार्ग निर्माण हेतु अन्य वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नही हुआ है। जिसे प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में दर्शाया गया है। प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन समंरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। मार्ग निर्माण के समरेखण में आरक्षित भूमि पर 1 एच0पी0 बैण्ड आ रहा है। बैण्ड पर मार्ग की चौडाई में अन्य चौडाई से अधिक भूमि अधिग्रहित हो रही है। जिससे आरक्षित वन भूमि 2.45 है0 के स्थान पर 2.52 है0 आ रही है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0 2 को निरस्त कर समरेखण नं0 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं0 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है)। अतः 0.500 कि0मी0 लम्बाई व 7.0 मीटर चौड़ाई में आने वाली आरक्षित वन भूमि 0.252 है0, एवं सिविल सोयम भूमि शून्य है0, नाप भूमि 0.0135 है0 प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन समंरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाइ खण्ड
कोटद्वार
पौड़ी गढवाल

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाइ खण्ड
कोटद्वार
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाइ खण्ड
कोटद्वार
पौड़ी गढवाल